समाज कल्याण विभाग,

बिहार सरकार

आदेश - 34

ई-सुविधा पोर्टल पर संधारित कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के सुचारू कार्यान्वयन एवं लाभुकों को त्वरित भुगतान करने के लिए प्रक्रियात्मक सरलीकरण हेतु निम्नवत व्यवस्था की जाती है -

1. ई-सुविधा पोर्टल पर प्रखंड स्तर से आवेदनों के डाटा इंट्री के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी 7 दिनों के भीतर सभी आवेदनों को अपने लॉग इन से आवश्यक रूप से सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे | यदि सात दिनों के भीतर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वत: सत्यापित माना जायेगा तथा आठवें दिन आवेदन ऑटोमेटिक रूप से अगले स्तर पर अग्रसारित हो जायेगा |
2. सत्यापनोपरांत आठवें दिन आवेदन सत्यापन तथा लॉक फॉर पेमेंट के लिए सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उनके लॉग इन पर उपलब्ध होगा| दो दिनों के भीतर सहायक निदेशक सत्यापनोपरांत लॉक फॉर पेमेंट करना सुनिश्चित करेंगे और यदि दो दिनों के भीतर यदि उनके द्वारा सत्यापन कर लॉक फॉर पेमेंट नहीं किया जाता है तो उक्त आवेदन स्वत: सत्यापित होकर ऑटोमेटिक रूप से DBT CELL सक्षम को अग्रसारित हो जायेंगे| लॉक फॉर पेमेंट के आधार पर DBT CELL के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा भुगतान के लिए प्रक्रिया की जाएगी |
3. ई-सुविधा पोर्टल के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 5 इस हद तक संशोधित समझी जाएगी शेष अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे |
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा |

उपरोक्त प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है|

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा
—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 'सक्षम

ज्ञापांक:- 2190

दिनांक:- 20-12-2018

प्रतिलिपि :—

1. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित |
2. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण को सादर सूचनार्थ प्रेषित

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा
—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 'सक्षम